स्पीड पोस्ट
आवंटनादेश

संख्या-6/एफ1-309/18 श्र0सं0- 142
बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, जहानाबाद/बांका ।

पटना, दिनांकः- 8-2-19

विषयः- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-112-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0301-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास तथा सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड-26-2230011120301) के अन्तर्गत निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3376 दिनांक-14.05.18 के आलोक में बंधुआ मजदूर पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष-2018-19 में 31 मार्च, 2019 तक व्यय के निमित निम्न प्रकार से निधि का आवंटन किया जाता है-

जिला का नाम	कुल बंधुआ मजदूरों की संख्या	***37-अनुग्रह अनुदान के तहत विषयशीर्ष 0301.37.01 अनुग्रह अनुदान*** से श्रम अधीक्षक जहानाबाद के पत्रांक-32 दिनांक-09.01.19 के आलोक में 01 एवं जिला पदाधिकारी बांका के पत्रांक-357 दिनांक-26.10.18 के आलोक में 02 बंधुआ मजदूर हेतु राज्यांश की राशि प्रति बंधुआ मजदूर ₹ 10,000/-(₹ दस हजार) मात्र की दर से
1	2	3
जहानाबाद	01	10000
बांका	02	20000
योग	*03*	***30000***

कुल आवंटित राशि ₹ 30,000/- (₹ तीस हजार) मात्र ।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-354/वि0 दिनांक-28.03.18, 3244/वि० दिनांक-4.5.18 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में है ।

3. आवंटित की गयी राशि दिनांक-17.05.2016 से लागू Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labour 2016 के पूर्व विमुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए है।

4. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।

5. आवंटित राशि का व्यय संबंधित विपत्रों को नियमानुसार जाँच कर एवं उन्ही विमुक्त बंधुआ मजदूरों को प्रदान की जाय जिन्हें इस योजना के तहत लाभांवित नहीं किया गया हो ।

6. आवंटित राशि से हुए व्यय का व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में निकासी के उपरांत अविलंब उपलब्ध करा दी जाय ।

7. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक-6903 दिनांक-13.09.18 के आलोक में CFMS Software से निर्गत न कर मैनुअली निर्गत किया जा रहा है।

8. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,
07/02/19
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-*6/एफ1-309/18* श्र0सं0:- 142 पटना, दिनांक 8-2-19

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

07/02/19

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार ।

ज्ञापांक-*6/एफ1-309/18* श्र0सं0 142 पटना, दिनांक 8-2-19

स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना /संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/* ***संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/*** संयुक्त श्रमायुक्त एवं प्रशाखा-01(श्रम पक्ष) को उनके गै०स०प्रे०सं०-36 एवं 38 (श्रमपक्ष) क्रमशः दिनांक-24.01.19 एवं 28.01.19 के आलोक में/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु /प्रशाखा-6, बजट शाखा, श्रम पक्ष एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय प्रतिवेदन का संधारण संबंधित शाखा (प्रशाखा-1) द्वारा किया जायेगा।

07/02/19

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार ।